न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट , आर.ए.एस.

वादी :–
मालचन्द उर्फ बाबूलाल पुत्र
रामपाल जाति ब्राहम्ण
सा. नावां तह. नावां

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. मजीद खां पुत्र रहीमबक्ष फौत
   1/1 फिरोज खां पुत्र मजिद खां
   1/2 रसीद खां पुत्र मजिद खां
   1/3 महबूब खां पुत्र मजिद खां
   1/4 हमीदा बेगम बेवा मजिद खां
2. हमीद खां पुत्र रहीमबक्ष
3. अजीत खां पुत्र रहीमबक्ष
4. शोकत खां पुत्र रहीमबक्ष
   मुसलमान सा. नावां तह. नावां
5. उप पंजीयक नावां
6. तहसीलदार नावां

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा, बंटवारा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा।
उपस्थित :– श्री विनोदसिंह वकील वादी
श्री नरेन्द्रेसिंह वकील प्रतिवादी 1 से 4
श्री हरिराम गुर्जर वकील प्रतिवादी 1 से 4

मुकदमां नम्बर :– 178/1993

निर्णय दिनांक :– 16.07.2019

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम नावां की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 364 रकबा 2–16 बीघा, 377 रकबा 67–01 बीघा कुल रकबा 70–00 बीघा भूमि स्थित रही हैं जो मौके पर एक ही खेत था लेकिन रास्ता पड़ने से अलग अलग नम्बर बन गया जिसके बाद में नये खसरा नम्बर 49 रकबा 2–19 बीघा, 1094 रकबा 67–01 बीघा, कुल 70 बीघा अंकित हुए, सन् 1986–87 में नावां तहसील में भू प्रबन्ध की कार्यवाही सम्पन्न हुई जिसमें उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 109, 121, 122, 123, 124, 125 कुल रकबा 11.60 हैक्टयर भूमि अंकित हुए हैं उक्त भूमि पर वक्त जागीर यानि मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 के लागू होने वक्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

पूर्व से वादी के पिता रामपाल जी की खुद काश्त जागीर की जमीन रही हैं तथा जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात वादी के पिता रामपाल उक्त भूमि स्वतः काबिज खातेदार काश्तकार रहे तथा निश्चित लगान जमा करवाते रहे हैं वादी के पिता रामपाल जी सम्वत 2014 तक उक्त भूमि सम्पूर्ण भूमि पर अकेले खुद काश्त तथा सम्वत 2015 के बाद में मजदूरी पर जरूरत माफिक अन्य काश्तकारो से सीर में काश्त करवाते रहे हैं केवल मजदूरी पर चौकीदार के रूप में रहीमबक्ष को वादी के पिता ने रखवाली हेतु दे रखी थी लेकिन रहीमबक्ष का कोई मालिकाना हक उक्त भूमि पर कभी नहीं रहा हैं। वादी के पिता ने सम्वत 2028–29 में खसरा नम्बर 367 नये खसरा नम्बर 1094 में एक नया कुआ अपने खर्चे से चौकीदार रहीमबक्ष की देख रेख में खुदवाया वादी व उसकी माता ने कुछ समय पश्चात उक्त कुए पर पम्प सेट लगवाया, जिसके खसरा नम्बर 134 अंकित हुए है जिस पर कोटडी आदि बने हुए है, वादी के पिता का स्वर्गवास सन् 1991 में हो गया जिसके बाद वादी व वादी की माता उक्त भूमि पर बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज रहे हैं वादी की माता के स्वर्गवास पश्चात वादी सम्पूर्ण भूमि पर जरूरत अनुसार काश्त करा लेता है। वादी अपने पिता की जगह नाम दर्ज करवाने हेतु पांच माह पूर्व पटवारी के पास गया तो पटवारी हल्का ने नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया व कहा कि वादी के पिता का नाम खातेदारी से हटा दिया गया हैं भूमि की खातेदारी प्रतिवादी 1 से 4 के नाम दर्ज होना बताया, तब वादी द्वारा नकले आदि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ की सम्वत 2018–2021 के खतौनी चौसाले में वादी के पिता की जगह बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व अधिकारियों से मिलकर रहीमबक्ष जो कि प्रतिवादी 1 से 4 के पिता हैं के द्वारा अपना नाम अंकित करा लिया वादी के पिता को विधि सम्वत नोटिस अथवा सूचना के अभाव में चुपचाप साजिश करके अंकित करवाया गया हैं जिसका रहीमबक्ष को कोई जायज अधिकार नहीं था। रहीमबक्ष का मालिकाना हक के हिसाब से कोई कब्जा व अधिकार नहीं था, रहीमबक्ष द्वारा धोकाधडी कर के अपने आप को खातेदार अंकित करा लिया रहीमबक्ष ने अपने जीवनकाल में उक्त धोकाधडी का पता नहीं चलने दिया। रहीमबक्ष के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण 1 से 4 ने उक्त भूमि में अपना नाम अंकित करवा लिया जो गलत हैं क्योंकि रहीमबक्ष स्वंय को इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। अतः स्वीकृत नामान्तकरण बिना कब्जा व अधिकार के स्वतः ही Null and Void है तथा प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

के आधार पर राजस्व अभिलेख में अंकित कराई हैं तो वह भी स्वतः अवैध है। उक्त रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु प्रतिवादीगण को कहने पर उनके द्वारा भूमि पर प्लाट कटवाकर बैचान करने की धमकी दी जिससे मजबूरन वादी को यह वाद लाना आवश्यक हुआ है। वादी ने यह वाद पेश कर ग्राम नावां के गत खसरा नम्बर 49 (364), 1094 (377) नये खसरा नम्बर 109 रकबा 0.48 हैक्टयर, 121 रकबा 0.24 हैक्टयर 122 रकबा 0.14 हैक्टयर, 123 रकबा 0.02 हैक्टयर 124 रकबा 0.01 हैक्टयर, 125 रकबा 10.71 हैक्टयर जिनका कुल रकबा 11.60 हैक्टयर होकर वादी काबिज खातेदार कृषक हैं में से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने व उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त व विधुत पम्प सेट के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी न तो स्वंय करने न ही अपने एजेन्टो से करवाने व भूमि का हस्तान्तरण या रूपान्तरण नहीं करवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.07.2009 को जवाब दावा पेश कर निवेदन किया हैं कि विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 49, 1094 थे जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 109, 121, 122, 123, 124, 125 कायम हुए हैं गत खसरा नम्बर 378 प्रतिवादीगण का नहीं हैं और न ही यह खसरा नम्बर 1094 का भाग हैं सेटलमेन्ट की गलती से इस खसरा को इस खाते में शामिल कर दिया गया हैं जिसकी खातेदारी बाबुलाल पुत्र पीरू नाई का हैं वादी मालचन्द के पिता रामपाल पूर्व खसरा नम्बर 49, 1094 जिनके इसके पूर्व के खसरा नम्बर 364 रकबा 2–19 बीघा और खसरा नम्बर 377 रकबा 67–01 बीघा डोलीदार जागीरदार था तथा इन खसरा नम्बरान में काश्त ताजु खां एवं उसके पुत्र रहीम बक्ष करते थे । इसलिए दिनांक 06.04.1949 को मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तब रहीमबक्ष को धारा 10 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये वादी व उसके पिता की स्थिति जागीरदार की रही हैं जागीर दिनांक 01.07. 1960 को राज्य सरकार द्वारा पुनर्गृहण कर ली गई वादी व उसके पिता के अधिकार जो जागीरदार के थे खत्म हो गये और हम काश्तकारो का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से हो गया सम्वत 2015 से हम लगातार राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं एंव काश्त करते आए है। वादी व वादी के पिता ने इस भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की हैं। रहीमबक्ष

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

की स्थिति कभी मजदूर की नहीं रही हैं वे अपने अधिकार से खातेदार की हैसियत से काश्त करते थे उनके देहान्त के बाद प्रतिवादीगण काश्त करते आये हैं व आज भी कर रहे हैं। खसरा नम्बर 1094 में स्व. रहीमबक्ष ने एस.बी.बी.जे. बैक से ऋण लेकर कुआ खुदवाया था व पम्प सेट भी उनके द्वारा ही लगवाया गया था तथा कुछ समय के लिऐ इन खसरो को बैंक को ऋण कर्जे की प्रतिभूमि में रहन रखा था। सम्वत 2016 तक वादी का पिता हमारा जागीरदार था इसलिए हम बांटे से उसे हासल देते थे सम्वत 2017 अर्थात 01.07.1960 को वादी की जांगीर समाप्त हो गई जिसके बाद हम लगान सीधा राज्य सरकार जमा करवाने लग गए, पूर्व खसरा नम्बर 49 अर्थात 364 एवं 1094 (377) में मालचन्द अथवा उसके पिता द्वारा कभी कोई काश्त नहीं की गई जो व्यक्ति कानूनी प्रकिया से काश्तकार की स्थिति से काबिज थे वे स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये नावां खालसे का गांव था इसमें जो क्षैत्र सिधा जोधपुर राज्य के अन्तर्गत था इसमें बापी पट्टे काश्तकारो को दिये गये थे परन्तु जो क्षैत्र जागीरदारो के अन्तर्गत आता था उसका सेटलमेन्ट प्रथम बार सम्वत 2015 में हुआ परन्तु जो काश्तकार मारवाड़ टिनेन्सी एक्त 1949 के अमल में आने के दिन अर्थात दिनांक 06.04. 1949 को काश्तकार की हैसियत से काश्त करते थे वे मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार हो गये यह कानूनी प्रकिया भी इसके बाद दिनांक 15.10.1955 को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तक यह खातेदारी अधिकार स्व. रहीमबक्ष को होने से राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। वादी का यह कथन की रहीमबक्ष ने वादी के साथ धोखा किया कतई गलत हैं , रहीमबक्ष को अपने अधिकार मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए वादी का यह कथन भी गलत हैं कि उसे यह जानकारी नकले लेने पर प्राप्त हुई क्योंकि नावां में जागीरदारी 01.07.1960 अर्थात सम्वत 2017 में समाप्त हो गई थी। इसलिए वादी का कब्जा काश्त होता तो सम्वत 2017 से लगातार आज तक लगान आदि करता परन्तु वादी ने कभी भी लगान अदा करने का प्रयास नहीं किया।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावे में अन्य आपत्तियों में बताया हैं कि मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 मारवाड़ लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1949 के अन्तर्गत नावां एक खालसा गांव था खालसा ग्राम में स्थित जगीरदारी भूमि का सेटलमेन्ट प्रथम बार सम्वत 2015 में हुआ था स्व. रहीमबक्ष

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

पुत्र ताजू खां ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 364 रकबा 2–19 बीघा, खसरा नम्बर 377 रकबा 67–01 बीघा के काश्तकार दिनांक 06.04.1949 मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ के दिन तक थे इससे पूर्व भी काश्तकार थे इसलिऐ धारा 10 मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 के तहत इन खसरो के खातेदार काश्तकार हो गये। सम्वत 2015 के सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 377 के नये खसरा नम्बर 1094 दर्ज कर दिया गया और 364 के खसरा नम्बर 49 दर्ज किया गया था इसका पर्चा स्व. रहीमबक्ष पुत्र ताजू खां कौम कायमखानी मुसलमान निवासी नावां के नाम जारी किया गया। राजस्थान काश्कातारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ तब रहीमबक्ष खातेदार काश्तकार की हैसियत से उपरोक्त खसरो पर काबिज थे ओर काश्त करते थे इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार हो गये। वादी उपरोक्त खसरा नम्बरान का डोलीदार जागीरदार था प्रतिवादीगण का जागीरदार था ओर प्रतिवादीगण उसके खातेदार कृषक थे दिनांक 01.07.1960 को राजस्थान की समस्त जागीर राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई और वादी के समस्त जागीरदारी अधिकार दिनांक 01.07.1960 से समाप्त हो गये। प्रतिवादी का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से हो गया और वे राज्य सरकार को लगान अदा करने लग गये। नावां का दुबारा सेटलमेन्ट हुआ जिसमें क्षैत्रफल बीघा से हैक्टयर में बदल दिया गया उस वक्त तक रहीमबक्ष की मृत्यु हो चुकि थी और सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नया पर्चा लगान दिनांक 01.04.1989 से 31 मार्च 2000 तक का रहीमबक्ष के पुत्र प्रतिवादीगण के नाम जारी किया गया था। प्रतिवादीगण के पिता रहीमबक्ष ने सन् 1969 के कुआ खुदवाया था जिसका ठेका रामदेव पुत्र दौलाराम भारोठिया निवासी पाचोता को दिनांक 22.07.1969 को दिया था जिसका इकरारनामा रामदेव द्वारा तकमील किया गया था। रहीमबक्ष द्वारा कुआ खुदवाने हेतु ए.बी.बी.जे. बैंक से 4000 हजार रूपये का लोन लिया था जिसका इन्द्राज सम्वत 2026–2029 की खतौनी में नामान्तकरण संख्या 394 के द्वारा बैक के नाम किया गया था लोन चुकाने पर दिनांक 14.09.1974 को प्रतिवादीगण के पक्ष में नो ड्यूज सेटिफिकेट जारी किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि सुधार के लिए बैंक से ऋण लिया था। बैक का ऋण न चुकाने पर उनके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पबरतसर द्वारा नोटिस जारी किऐ गये थे। कुए पर विधुत कनेक्शन 7.5 एच.पी. का लिया जिसका मांग पत्र संख्या 7391 दिनांक 04.12.1969 को रहीमबक्ष के नाम

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

जारी किया गया। कुए से सिचाई ओर इसके विधुत उपभोग का बिल प्रतिवादीगण अदा करते है। इस भूमि पर सुरक्षा हेतु पट्टियां व कटीले तार प्रतिवादीगण ने लगा रखे हैं व किसान क्रेडिट कार्ड से उक्त भूमि पर लोन ले रखा हैं व उक्त भूमि मजीद खां की बेवा अपने पुत्र फिरोज खा व दोनों बच्चों के साथ कृषि भूमि पर बने आवास में निवास करती हैं व विधुत उपकरण हेतु कुए पर कोटड़ी व कृषि उपकरण हेतु मकान बना रखे हैं व निवासरत होकर कृषि कार्य करती आयी है। प्रतिवादी 5, 6 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक 02.06.2003 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तत्पश्चात वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवागण के जवाब में वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1– आया वादी की ओर कस्बा नावां की सरहद के स्थित गत खसरा नम्बर 49 रकबा 2–19 बीघा, 1094 रकबा 67–00 बीघा कुल रकबा 70–00 बीघा कृषि भूमि वर जागीर वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ही वादी के पिता स्व. रामपाल के नाम से भूमि खुदकाश्त अधिपत्य की भूमि रही हैं। .....जिम्मे वादी

2– आया वादी कस्बा नावां के खसरा नम्बर 49 व 1094 के कायम नये खसरा नम्बर 109, 121, 122, 123, 124 व 125 की कुल भूमि 11.60 कृषि भूमि का वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार है। .....जिम्मे वादी

3– आया वादी को उपरोक्त खसरा नम्बर 109, 121, 122, 123, 124, 125 हैं कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगगण के द्वारा कोई दखलन्दाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। .....जिम्मे वादी

4– आया प्रतिवादीगण कस्बा नावां के खसरा नम्बर 49 व 1094 हाल खसरा नम्बर 109, 121, 122, 123, 124, 125 का कुल रकबा 11.60 हैक्टयर काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के पिता स्व. रहीमबक्ष जाति मुसलमान को खातेदार अधिकार अर्जित हो गये है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

वाद पत्र व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के में वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम होने के बाद पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई दिनांक 27.03.2019 को वादी स्वंय पी.डब्ल्यू–1 के बयाने लिये गये एवं दिनांक 08.04.2019 को गवाह

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

हसंराज पी.डब्ल्यू –2 व गजाधर पी.डब्ल्यू – 3 के बयान लिये गये ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई जाकर साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। प्रतिवादी की साक्ष्य में प्रतिवादी हमीद खां डी.डब्ल्यू – 1 दिनांक 10.06.2019 को लिऐ गऐ साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह कानाराम, बाबूलाल, महेन्द्र प्रतापसिंह, राधेश्याम के बयान दिनांक 19.06.2019 को लिये गय ओर साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

वादी ने अपने वाद की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 1, 2, 3 सरकारी वसूली मुतालका नोटिस प्रदर्श– 4, बिगोड़ी रसीद प्रदर्श– 5, वसूली रसीद प्रदर्श– 6, प्रथम सेटलमेन्ट की मिसल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 7, विवादित भूमि के खेवट खतौनी सम्वत 2014–2017 की प्रति प्रदर्श– 8 पर्चा खतौनी सम्वत 2015 प्रदर्श– 9, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2008–2011 प्रदर्श–10, व 11 एवं सम्वत 2033 तक प्रदर्श–12 सम्वत 2008 से 2033 पेश की हैं, गिरदावरी सम्वत 2014 से 2033 प्रदर्श– 13 पेश की हैं, खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 14 पेश किया हैं। प्रतिवादी तनकी संख्या 4 की तायद में प्रतिवादी हमीद खां ने अपनी साक्ष्य के शपथ पत्र में वर्णित प्रदर्श– डी 1 से डी 38 तक दस्तावेज पेश किऐ है। तत्पश्चात उभय पक्षकाराने के अधिवक्ताओं लिखित बहस प्रस्तुत की एवं मजीद बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात इस वाद का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से हैं कि :–

1– आया वादी की ओर से कस्बा नामा के खसरा नम्बर 49 रकबा 2–19 बीघा, 1094 रकबा 67–00 बीघा कुल रकबा 70–00 बीघा भूमि वक्त जागीर लागू होने व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से ही वादी के पिता स्व. रामपाल के नाम से खुदकाश्त अधिपत्य की भूमि रही हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। जिसकी तायद में वादी ने अपनी स्वंय की गवाही पी.डब्लू – 1 मालचन्द एवं गवाह पी.डब्ल्यु – 2 हसंराज, गवाह पी.डब्लयू – 3 गजान्द को परीक्षित करवाया व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 1, 2, 3 सरकारी वसूली मुतालका नोटिस प्रदर्श– 4, बिगोड़ी रसीद प्रदर्श– 5, वसूली रसीद प्रदर्श– 6, प्रथम सेटलमेन्ट की मिसल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 7, विवादित भूमि के खेवट खतौनी सम्वत 2014–2017 की प्रति प्रदर्श– 8 पर्चा खतौनी सम्वत 2015 प्रदर्श– 9, नकल खसरा गिरदावरी

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

सम्वत 2008–2011 प्रदर्श–10, व 11 एवं सम्वत 2033 तक प्रदर्श–12 सम्वत 2008 से 2033 पेश की हैं, गिरदावरी सम्वत 2014 से 2033 प्रदर्श– 13 पेश की हैं, खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 14 पेश किया हैं एवं लिखित बहस में कथन किया कि वाद मे वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता स्व. रामपाल पुत्र बछराज ब्राहम्ण निवासी नावां की खुदकाश्त व खातेदारी की भूमि हैं जो प्रतिवादीगण के पिता स्व. रहीमबक्ष को देख रेख बा – जोत हेतु हासिल पर दी थी एवं दस्तावेजत अनुसार उक्त कृषि भूमि रामपाल पुत्र बछराज डोलीदार की होना बताया जो सम्वत 2017 तक रामपाल पुत्र बछराज ब्राहम्ण निवासी कस्बा नाम डोलीदार के नाम से खातेदारी में अंकित रही हैं उक्त भूमि कभी भी प्रतिवादीगण के पिता – दादा स्व. रहीमबक्ष के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं रही हैं न ही उक्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि रही हैं न ही किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से स्व. रहीमबक्ष के नाम खातेदारी में दर्ज होना कथन किया। जवाब व लिखित बहस में प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादी के स्वंय के बयान में जिरह में स्वीकार किया की उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श – 1 से 3 में उसका नाम अंकित नही है ओर प्रदर्श– 4 से 6 में खसरा संख्या भी अंकित नही हैं वादी ने प्रदर्श – 1 पर्चा खतौनी सम्वत 2009 में रहीमबक्ष के नाम पर्चा आया तो जानकारी होने से इन्कार किया हैं प्रदर्श– ए 4 रहीमबक्ष के नाम दिनांक 25.03.1961 को जारी हुआ हो की जानकारी से इन्कार किया व कथन स्वीकार किया कि वादीगण बाहर निवास करते थे व हमारे पिता अहमदाबाद मील में नोकरी करते थे। मैरी पढाई भी वहीं हुई हैं पिता के स्वर्गवास के बाद सन् 1991 के पश्चात पुनः नावां आये एंव सेटलमेन्ट द्वारा सम्वत 2009 में रहीमबक्ष के नाम खातेदारी दर्ज की उसकी मेने व मेरे पिता ने कोई अपील दर्ज नही करवायी है। सम्वत 2009 से पहले ही रहीमबक्ष का विवादित भूमि पर बतैर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा था उसके बाद जब प्रथम भु–प्रबन्ध सम्वत 2015 मे हुआ उससे पूर्व बतैर खातेदार कब्जा काश्त रहीमबक्ष का होने के कारण ही पर्चा खतौनी उनके नाम जारी हुई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व भूमि पर कब्जा काश्त वादी व वादी के पिता का होना साबित नहीं है। वादी स्वयं ने सम्वत 2009 में पिता को परिवार सहित अहमदाबाद में रहना बातया। वादी के गहवा पी.डब्ल्यू – 2 हसंराज ने वादी के पिता रामपाल को जागीर रिज्युम होने के 2 – 3 वर्ष बाद अहमदाबद जाना बताया रामपाल के एक साल बाद तो हसंराज ने रहीमबक्ष का

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

कब्जा माना एवं मौके पर विवादित भूमि पर कुआ रहीबक्ष के द्वारा निर्मित करवाया जाना बताया हैं गवाह पी.डब्ल्यू – 3 गजाधार ने अपने बयानों की जिरह में जागीर रिज्युम के समय रामपाल का अहमदाबाद जाना व भूमि पर कब्जे काश्त के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहीर करना बताया। साथ ही अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व ही रहीमबक्ष का कब्जा काश्त होना व मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट के समय रहीमबक्ष का निर्विवाद रूप से काश्तकार होने का कथन किया हैं तथा विवादित भूमि पर वादी के पिता जागीरदार / डोलीदार थे एवं विवादित भूमि डोलीदार / जागीरदार की खुदकाश्त की भूमि नहीं रही होना बताया हैं। सम्वत 2009 में पर्चा खतौनी प्रदर्श– ए 4 नावा परगना के द्वारा सन् 1950 में रहीमबक्ष के काश्त करने ही विवादित भूमि के सम्बन्ध में जारी किया गया था। इससे प्रकट हैं कि वादी या उसके पूर्वजो का सम्वत 2009 में विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं था। सम्वत 2009 में पर्चा खतौनी रहीमबक्ष ने नाम जारी हुई ओर विधि अनुसार वह विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया इसके बाद जब सम्वत 2015 में सेटलमेन्ट की कार्यवाही हुई उस समय मौके पर बतैर खातेदार कब्जा काश्त रहीमबक्ष का होने से सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा खतौनी प्रदर्श– ए2 व पर्चा खतौनी प्रदर्श– ए 3 जारी किये गया। ग्राम नावां खालसा ग्राम था ओर सेटलमेन्ट 2015 में जब हुआ तब विवादित भूमि के लिऐ खसरा सफाई जो प्रदर्श – डी 7 हैं उसमें भी खातेदार का नाम रहीमबक्ष दर्ज किया गया जिसकी पुष्टि प्रदर्श – डी 8 से होती है इस प्रकार गत सेटलमेन्ट ओर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार रहीमबक्ष होने से जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड रहीमबक्ष के नाम दर्ज हुआ हैं ओर विधिअनुसार रहीमबक्ष को खातेदारी अधिकार सही प्रदान किए गए हैं इस पर लगातार प्रतिवादीगण व उनके पिता का काश्त रहा हैं बाद के सेटलमेन्ट 1985–86 में भी विवादित भूमि के नये नम्बर 109, 121, 122, 123, 124, 125 कुल रकबा 11.60 हैक्टयर कायम किया गया जो रहीमबक्ष की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के नाम खातेदारी दर्ज की गई है।

इस प्रकार जवाब दावा के कथन बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार विवादित आराजीयत के सम्बन्ध में – मालचंद ने अपने बयान में 2017 से पूर्व उसके पिता की काश्त होना व उसके बाद कमाने खाने हेतु बाहर जाने का कथन किया हैं साथ ही अपने पिता को

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

जागीरदार व डोलीदार होना बताया हैं व पर्चा खतौनी सम्वत 2009 प्रदर्श– ए1 में अपने पिता के हस्ताक्षर फर्जी होने का कथन किया हैं व अपने पिता का राजस्व कार्मिको के सामने हस्ताक्षर करने से इंकार किया क्योंकि उसके पिता बाहर चले गये थे। सम्वत 2000 से खसरा नम्बर 377 पर काश्त रहीम खां पिता ताजू खां की काश्त होने इंकार किया जो प्रदर्श– 13ए में अंकित है। साथ ही सम्वत 2017 से पूर्व उसके पिता का कब्जा काश्त होना व रहीमबक्ष को चौकीदार के रूप में रखना कथन किया परन्तु इस बाबत कोई लिखा पढ़ी नही होना बताया। गवाह पी.डब्ल्यू – 2 हंसराज के अनुसार रामपाल के अहमदाबाद चले जाने के एक साल बाद इस जमीन पर नंदा ब्राहम्ण ने काश्त की रहीम खां कायमखानी व रामपाल में धर्म का रिस्ता था उसके बाद से इस भूमि पर रहीमबक्ष कास्त करते थे विवादित जमीन पर कुआ रहीमबक्ष ने बनाया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श– 1 से 6 में नाम व खसरा नम्बर अंकित नहीं है साथ ही वादी द्वारा प्रदर्श– 7 पेश की हैं जिसमें नावां परगना सांबर राज मारवाड़ सम्वत 1981 की खतौनी के खसरा नम्बर 909, 909/1 कुल रकबा 13–12 बीघा, 109, 110, 364, 377 कुल रकबा 75–19 बीघा भूमि बछो बेटो गीरधारी को जातरो बीरामण खडेलवाल वासी गांवरा दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें विशेष नोट अंकित हैं जिसमें बछराज वल्द गीरधारी के नाम डोली में बाल करार पाया गया। खतौनी सम्वत 2014–2017 प्रदर्श– 8 पेश की हैं जसमें खसरा नम्बर 909, 909/1, 109, 110, 364, 377 कुल रकबा 111– 7 बीघा भूमि रामापाल वल्द बछराज कौम ब्राहम्ण सा. देह का नाम जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में भूमिधारी (जागीरदार उप जागीरदार) और मालगुजार बिस्वेदार या जमीदार के रूप में नाम दर्ज रिकार्ड हैं, कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण सहित रिक्त हैं, प्रदर्श– 9 खतौनी पर्चा सम्वत 2015 में अंकित खसरा नम्बर 49, 1094 का जारी किया गया हैं जिसमें ठिकानेदार पाटेदार अथवा मुआफीदार राज कॉलम संख्या 2 में रामपाल वल्द बछराज कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार अंकित हैं जिसको गोला लगाकर खालसा अंकित किया हैं तथा नाम कृषक खातेदार के कॉलम संख्या 4 में रहीमबक्ष पुत्र ताजू खां कायमखानी मुसलमान सा. देह खातेदार छः साल अंकित है, साथ ही इसमें डोलीदार का पता नही होने से कोपी मुख्या के सामने चस्पा किया होना व नकल पर्चा भरपाई के नीचे रहीमबक्ष के हस्ताक्षर होना अंकित है प्रदर्श–10 गिरदावरी नकल सम्वत 2008–11 पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 364 में काश्त खुद डोलीदार व खसरा नम्बर 377

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

में डूंगो पुत्र घासी , नाथ खाती रामपाल खुद काश्त अंकित दर्ज हैं इसमें कॉलम संख्या 40 विवरण विशेष व अधिकारो अधिपत्य भूमि कर तथा राजस्व में परिवर्तन में नन्दा पुत्र नारायण ब्राहमण, धनश्याम ब्राहमण अंकित हैं। गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 प्रदर्श – 11 पेश की हैं जिसमें दर्ज खसरा नम्बर 364, 377 की भूमि में जगीरदार के कॉलम में रामपाल पुत्र बछराज ब्राहम्ण दर्ज हैं लेकिन कृषक विवरण में काश्त लगातार रहीमबक्ष पुत्र ताजू खां कायमखानी सा. देह की दर्ज रिकार्ड हैं। प्रदर्श – 14 गिरदावरी सम्वत 2008 से 2033 तक खसरा नम्बर 109, 110 की की पेश की हैं जो वाद में वर्णित विवादित भूमि से सम्बन्धि नही हैं जिसका उल्लेख इस निर्णय में किऐ जाने का कोई आधार नही हैं। प्रतिवादी अपने जवाब दावे व बहस में दिये कथनों के समर्थन दस्तावेज प्रदर्श– डी 4 परचा खतौनी मौजा नावां पट्टा ठिकाना ..... परगना नावां सम्वत 2008 सन् 1951 नाम मालिक हासिल मय वल्दियत कीमियत व सकून में रामपाल वल्द बछराज कौम ब्राहम्ण सा. देह वास सुन्दरिया डोलीदार दर्ज हैं जिसमें नाम काश्तकार मय किमियत वल्दियत सकून व सीपत कोलम संख्या 1 में खुद काश्त को राउण्ड किया गया हैं जिसमें उसके नीचे रहीमबक्ष वल्द ताजू खां कौम कायमखानी मुसलमान सा.देह खातेदार अंकित हैं कॉलम नम्बर 2 खसरान में खसरा नम्बर 115, 120, व 631 व 632 को राउण्ड में किया गया हैं तथा खसरा नम्बर 49 रकाब 2–19 बीघा व खसरा नम्ब 1094 रकबा 67–01 बीघा खुले में अंकित हैं इन सबके नीचे योग के कॉलम में कुल 2 रकबा 70–00 बीघा अंकित हैं खसरा नम्बर 631, 632 का केफियत विवरण कॉलम संख्या 11 में दूसरा पर्चा तैयार करने का उल्लेख हैं, जिसकी पुश्त पर इन्द्राज व पर्चा दुरूस्त होने बाबत दस्तखत व निशानी में इंस्पेक्टर के साथ कामदार जी ठिकाना में हस्ताक्षर मार्क ''ए से बी'' रामपाल पुत्र बछराज है,व चौधरियान दह में बालूराम के हस्ताक्षर है, वादी द्वारा इस पर्चा खतौनी पर रामपाल के हस्ताक्षर फर्जी होने बात कहा जो स्वीकार योग्य नहीं। खसरा गिरदावरी सम्वत 1996 से 1999 प्रदर्श– डी 1 व गिरदावरी प्रदर्श– डी 2 सम्वत 2000 से 2002 पेश की हैं जिसके कॉलम संख्या 4, 13, 22, 31 नाम काबिज वल्दियत कोमियत सकूनत मय इन्द्राज शिकमी काश्तकार में खसरा नम्बर 364 की भूमि में बछराज डोलीदार व उसके के नाम के नीचे काश्त ताजू खां मुसलमान अंकित हैं। प्रदर्श– डी 3 खसरा संख्या 364 व 377 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2000 से 2007 तक पेश की है जिसके जिसके कॉलम संख्या 4, 13, 22, 31 नाम काबिज

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

वल्दियत कोमियत सकूनत मय इन्द्राज शिकमी काश्तकार में सम्वत 2000, 2001 एवं 2003 से 2007 जिसमें रामपाल पुत्र बछराज ब्राहम्ण जात रो बीरामण गांवरो डोलीदार अंकित हैं एवं सम्वत 2000 में काश्त में ताजू खां सबलसिंह, 2001 में काश्त ताजू खां सम्वत 2002 में काश्त ताजू खां, सम्वत 2003 में सबलसिह राजपूत, सम्वत 2004 में काश्त ताजू खां, सम्वत 2005 में काश्त ताजू खां दर्ज रिकार्ड हैं। मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 में लागू हो चुका था एंव ग्राम नावां खालसा ग्राम होने से भू– प्रबन्ध की कार्यवाही सम्वत 2015 से लागू हुई जिसमें जिसका खतौनी पर्चा सम्वत 2015 में जारी किया गया हैं जिसमें ग्राम नावां के खसरा नम्बर 49, 1094 कुल रकबा 70–00 बीघा भूमि के कॉलम संख्या 4 ठिकानेदार में रामपाल पुत्र बछराज ब्रहाम्ण सा. देह डोलीदार व कॉलम संख्या 4 नाम कृषक के कॉलम में रहीमबक्ष वल्द ताजू खां कौम कायमखानी मुसलमान सा. देह खातेदार 6 साल अंकित प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श– डी 7 खसरा सफाई में खसरा नम्बर 1094 के कॉलम संख्या 4 नाम भोक्ता में खालसा अंकित हैं तथा कॉलम संख्या 6 नाम कृषक में रहीमबक्ष वल्द ताजू खां कौम कायमखानी मुसलमान सा. देह 3 साल खातेदार ब.न. 49 अंकित हैं जिसके पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 49, 1094 का पर्चा लगान साथ ही प्रदर्श– डी 8 खतौनी बन्दोबस्त में भी कृषक में रहीमबक्ष वल्द ताजू खां कौम मुसलमान दर्ज हैं। उरोक्त विवेचन के अनुसार मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 लागू होने से पूर्व विवादित आराजीयत पर काश्त सम्वत 1996 से 1999 एवं सम्वत 2000 से 2007 में वादी के पिता रामपाल पुत्र बछराज कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार की काश्त नहीं होकर ताजू खां व सबलसिंह की काश्त दर्ज रिकार्ड हैं। खतौनी पर्चा सम्वत 2008 सन् 1950 जो प्रदर्श– डी 4 हैं अनुसार भी वादी के पिता की खुदकाश्त व आधिपत्य की भूमि दर्ज होना नहीं पाये जाने से यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2– आया वादी कस्बा नावां के गत खसरा नम्बर 49, 1094 जिसके नये खसरा नम्बर 109, 121, 122, 123, 124 व 125 कुल रकबा 11.60 हैक्टयर भूमि की खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर था। वादी विवादित आराजीयत पर जागीर अधीग्रहण के समय व टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय उक्त भूमि अपने पिता रामपाल की खुद काश्त होना कथन किया हैं व वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श– 9 सेटलमेन्ट का

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

खतौनी पर्चा सम्वत 2015 व गिरदावरी सम्वत 2008 से 2017 प्रदर्श– 10 पेश की हैं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में कथन किया की रहीमबक्ष का मारवाड़ टिनन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व ही विवादित भूमि पर कब्जा था जिस कारण मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट की धारा 10 के तहत खातेदार वे काश्तकार हुए वादी के पिता डोलीदार थे विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। भू– प्रबन्ध के दौरान नये नम्बर दर्ज कर खातेदारी रहीमबक्ष के नाम दर्ज की है। विवादित भूमि पर वादी के पिता या वादी का मौके पर विधिक कब्जा के अभाव में वादी को खातेदारी नहीं दिऐ जा सकते हैं। इस सम्बन्ध तनकी संख्या 1 में विस्तृत विवेचन के उक्त विवादित भूमि वादी के पिता डोलीदार थे उक्त विवादित भमि में वादी के पिता मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के वक्त खुदकाश्त की भूमि रही हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी ने पेश नहीं किया हैं। वादी ने सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी खतौनी पर्चा प्रदर्श– 9 पेश किया हैं जिसमें विवादित भुमि गत खसरा नम्बर 49, 1094 कुल रकबा 70–00 बीघा भूमि में वादी के पिता रामपाल वल्द बछराज ब्राहम्ण सा. देह को गोला लगागर बन्द करते हुऐ भूमि को खालसा दर्ज की हैं तथा कृषक के कॉलम में रहीमबक्ष वल्द ताजू खां कायमखानी मुसलमान सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड किया है साथ में नोट अंकित किया हैं कि डोलीदार का पता नहीं होने से खतौनी पर्चा चस्पा की गई। ग्राम नावां खालसा ग्राम था जिसको वादी स्वंय ने स्वीकार किया हैं। जागीर दिनांक 01.07.1960 को रिज्यूम हुई तब वादी व वादी के पिता ग्राम नावां में निवास नहीं करते थे यह प्रस्तुत रिकार्ड एवं वादी स्वंय के बयानों से साबित होता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श– 9 सेटलमेन्ट का खतौनी पर्चा सम्वत 2015 व गिरदावरी सम्वत 2008 से 2017 प्रदर्श– 10 पेश की हैं जिसमें मात्र सम्वत 2008 में खसरा नम्बर 364 रकबा 2–19 बीघा में काश्त डोलीदार हैं व खसरा नम्बर 377 में डूगां घासी, नाथू खाती रामपाल खुद अंकित हैं परन्तु सम्वत 2009, 2010, व 2011 में कायत किसी व्यक्ति की दर्ज नहीं है भूमि पड़त दर्ज है। कॉलम संख्या 40 विवरण विशिष्ट अधिकारो अधिपत्य भूमि कर मय राजस्व भूमि परिर्वतन में नन्दा पुत्र नारायण ब्राहम्ण व घनश्याम ब्राहम्ण खसरा नम्बर 377 में दर्ज हैं। परन्तु इसके पश्चात उपलब्ध गिरदावरी में सम्वत 2014 व इसके पश्चात रहीमबक्ष पुत्र ताजू खां कौम कायमखानी मुसलमान सा. दे हके की काश्त दर्ज है। सम्वत 2008 के पश्चात विवादित भूमि पर वादी के पिता

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

रामपाल की खुदकाश्त होने बाबत साक्ष्य वादी ने प्रस्तुत नही किया हैं विधिक कब्जे के अभाव में खातेदारी अधिकारो की घोषणा संभव नहीं हैं। अतः तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3– आया उक्त खसरान भूमि में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को साबित करने के लिऐ वादी को विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित करना आवश्यक हैं। जबकि वादी स्वंय ने अपने बयानों स्वीकार किया हैं कि सम्वत 2017 में मेरे पिता परिवार सहित अहमदाबाद चले गऐ थे एवं वहां पर ही निवास करते थे तथा उसके बाद सन् 1991 में वापस नावां आये थे। वापस आने के बाद भी उक्त विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज या गवाह पेश नहीं किया हैं। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भी सम्वत 2008 के पश्चात उक्त विवादित भूमि पर काश्त वादी के पिता की रही हे साबित नहीं करवाया हैं। वादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया हैं कि विवादित भूमि में रहीमबक्ष जी के वारिसान का मकान उत्तर में बना हुआ हैं उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहीमबक्ष के वारिसान का हैं गवाह पी. डब्ल्यु– 2 हंसराज के अनुसार रामपाल के अहमदाबाद चले जाने के एक वर्ष बाद इस जमीन पर नन्दा ब्राहम्ण ने काश्त की उसके बाद से रहीमबक्ष काश्त करता था विवादित भूमि पर कुआ रहीमबक्ष जी ने ही बनाया हैं। प्रतिवादीगण ने कथन किया कि सम्वत 2009 से वादी के पिता का किसी प्रकार का विवादित आराजीयत पर नही रहा है। बहस के दौरान कथन किया कि मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 के लागू होने के पूर्व ही उक्त भूमि में रहीमबक्ष की काश्त रहीं हैं। कब्जे काश्त के सम्बन्ध में तनकी संख्या 1 में वर्णित दस्तावेज के आधार यह साबित होता चुका हैं कि वादी के पिता का मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 लागू होने के पूर्व व राजस्थान काश्तकारी अधिनिय 1955 के बाद विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा हैं, वादी स्वंय ने अपने बयानों में स्वीकार किया हैं कि वादी के पिता सम्वत 2017 में कमाने खाने परिवार सहित अहमदाबाद चले गये थे एवं वापस सन् 1991 में अपने पिता के स्वर्गवास के बाद नावां में आया तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त वादी ने प्रतिवादीगण का स्वीकार किया हैं बिना कब्जे काश्त के वादी कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

निषेधाज्ञा से रोका जाना किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण नहीं हैं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने से पूर्व वादी को विवादित भूमि पर कब्जा प्रमाणित करना आवश्यक होता हैं जिसके अभाव में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 3 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

4– आया प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बर 109, 121, 122, 123, 124 व 125 कुल रकबा 11.60 हैक्टयर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत प्रतिवादीगण के पिता रहीमबक्ष जी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गऐ है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में कथन किया कि वादी मालचन्द के पिता रामपाल पूर्व खसरा नम्बर 49, 1094 जिनके इसके पूर्व के खसरा नम्बर 364 रकबा 2–19 बीघा ओर खसरा नम्बर 377 रकबा 67–01 बीघा डोलीदार जागीरदार थे तथा इन खसरा नम्बरान में काश्त ताजु खां एवं उसके पुत्र रहीम बक्ष करते थे । इसलिए दिनांक 06.04.1949 को मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तब रहीमबक्ष को धारा 10 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये वादी व उसके पिता की स्थिति जागीरदार की रही हैं जागीर दिनांक 01.07.1960 को राज्य सरकार द्वारा पुनर्गृहण कर ली गई वादी व उसके पिता के अधिकार जो जागीरदार के थे खत्म हो गये और हम काश्तकारो का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से हो गया सम्वत 2015 से हम लगातार राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं एंव काश्त करते आए है।

वादी ने अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया की सम्वत 2017 तक वादी के पिता रामपाल पुत्र बछराज ब्रहाम्ण निवासी कस्बा नावां डोलीदार के नाम से खातेदारी में अंकित रही हैं और उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी के पिता – दादा स्व. रहीमबक्ष के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं रही हैं न ही उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि रही हैं न ही रहीमबक्ष को विरासतन प्राप्त हुई तथा न ही उक्त कृषि भूमि किसी समक्ष न्यायालय के आदेश से स्व. रहीमबक्ष की खातेदारी में दर्ज हुई हैं जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2017 तक में उक्त भूमि रामपाल जागीरदार / डोलीदार के नाम दर्ज है, इस भूमि का हासल रामपाल को अदा करने बाबत बात प्रतिवादीगण के गवाहों ने बयानों में स्वीकार किया हैं। उक्त भूमि रहीमबक्ष को

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

हासल साटे बा जोत हेतु दी थी जिसका हासल रहीमबक्ष रामपाल ब्राहम्ण को अदा करता था इसके समर्थ में नजीर आर.आर.डी. 1984 दुर्गालाल बनाम मंदिर शनिश्चर जी महाराज व आर. आर. डी. 1983 लादी बनाम भैरू प्रस्तुत की हैं एव कथन किया कि बिना विधित आदेश के रहीमबक्ष के नाम खातेदारी दर्ज की हैं जो गलत है।

प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया हैं कि मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 लागू होने के समय से पूर्व इस भूमि पर रहीमबक्ष का कब्जा काश्त था और मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट जब लागू हुआ उस समय से पहले से ही विवादित भूमि पर रहीमबक्ष स्वीकृत रूप से काश्तकार थे और इसी कारण मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के समय कानून लागू होने के आधार पर धारा 10 के तहत खातेदार काश्तकार हुए वादी के पिता डोलीदार थे और उनका विवादित भूमि पर खुदकाश्त के रूप में कभी भी काश्त नहीं रही हैं दिनांक 01.07. 1960 को जागीर रिज्यूम होने के कारण लगान भी रहीमबक्ष के द्वारा अदा किया जाता रहा हैं जिसकी पुष्टि लगान की रसीदों से होती हैं सम्वत 2015 में भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा खतौनी जारी किया उसके बाद भी लगातार इस भूमि पर काश्त रहीमबक्ष की रही हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय रहीमबक्ष निरन्तर बतौर खातेदार काश्तकार होने से खातेदारी अधिकार रहीमबक्ष के नाम दर्ज किये गये जो दस्तावेज प्रदर्श– डी. 1 से डी 3 व ए– 13 गिरदावरी में भी प्रतिवादी के पूर्वजो की काश्त प्रमाणित है। खसरा सफाई खसरा मिलान व बिगोड़ी रसीदो से भी रहीमबक्ष का कब्जा साबित हैं जिरह में वादी के पिता परिवार सहित अहमदाबाद जाने व पुनः सन् 1991 में आने का उल्लेख हैं विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा दस्तावेज प्रदर्श– डी 16 से डी 38 से प्रकट हैं जिसमें कुआ निर्माण, कुऐ में काटडी बाबत ठेकेदार रामदेव को ठेका देना, विधुत कनेक्शन डीमाण्ड नोटिस, गिरदावरी, तहसीलदार का प्रमाण पत्र तारबन्दी बिल से भी लगातार प्रतिवादीगण के कब्जे की पुष्टि हो रही है। मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 की धारा 2 के अनुसार इस एक्ट से पूर्व जो भी नोटिफिकेशन आदेश, नियम लागू थे वे इस कानून के बाद लागू रहेगे यदि वह इससे असंगत नहीं हैं इस एक्ट की धारा 10 के अनुसार इस अधिनियम के समय या इसके बाद स्वीकृत काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें। विवादग्रस्त खसरो में सम्वत 1996 से 2005 की गिरदावरी की प्रमाणित नकल संलग्न हैं। प्रदर्श – ए 1 ठिकाना पट्टा अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

खसरा नम्बर 49 व 1094 का रहीमबक्ष तत्कालिन जागीरदार (डोलीदार) का स्वीकृत काश्तकार था व सालाना अदा 115 रूपये डोलीदार को देता था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 3 अनुसार इस अधिनियम से पूर्व के अधिनियम के नियम यदि इससे अंसगत नहीं हैं तो लागू रहेगें इस प्रकार धारा 15 में यह अंकित हैं कि इस के समय जो व्यक्ति कृषक व खातेदार हैं वह इस अधिनियम के तहत खातेदार हो जाता है। रहीमबक्ष मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदार था। रहीमबक्ष उक्त भूमि का चौकीदार नहीं होकर काश्तकार था अतः बाई ऑपरेशन ऑफ ला वर्तमान अधिनियम के तहत खातेदार हो गया था। प्रदर्श (डी–4) पर्चा खतौनी सम्वत 2008 पेश किया हैं जो रामपाल वल्द बछराज कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार के जारी किया गया हैं जिसके कॉलम नम्बर 1 में खसरा नम्बर 49 रकबा 2–19 बीघा, खसरा नम्बर 115 रकबा 6–05 बीघा, खसरा नम्बर 120 रकबा 21–10 बीघा, खसर नम्बर 1094 रकबा 67–01 बीघा, खसरा नम्बर 631 रकबा 0–3 बीघा खसरा नम्बर 632 रकबा 13–9 बीघा भूमि में जहां काश्तकार का नाम दर्ज होता हैं वहां पर खुद काश्त एवं उसके नीचे रहीमबक्ष वल्द ताजू खां कौम कायमखानी मुसलमान सा. देह खातेदार दर्ज हैं।

इसमें खुद काश्त शब्द व खसरा नम्बर 115, 120, 631, 632 को गोला लगाकर बन्द कर दिया हैं व नाम काश्तकार के कॉलम संख्या 1 व खसरा नम्बर के कॉलम संख्या 2 में रहीमबक्ष वल्द ताजू खा एवं खसरा नम्बर 49 , 1094 को खुला रखते हुऐ आगे कॉलम संख्या 6 लगान में लगान 115 रूपये सालाना अंकित किया हैं तथा विशेष विवरण के कॉलम संख्या 11 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हैं की खसरा नम्बर 631, 632 का दूसरा पर्चा तैयार किया गया हैं इसी पर्चा लगान के कॉलम संख्या 10 में मुद्त काश्त में 6 साल अंकित किया गया हैं यानि सम्वत 2008 में यह पर्चा खतौनी जारी किया गया हैं जिससे 6 वर्ष पूर्व से खसरा नम्बर 49, 1094 पर कब्जा काश्त रहीमबक्ष वल्द ताजू खां कायमखानी का है। प्रतिवादी ने खसरा गिरदावरी सम्वत 2000 से 2009 पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 377 में रामपाल पुत्र बछराज ब्राहम्ण डोलीदार दर्ज रिकार्ड हैं उसे नीचे काश्त ताजु खां कायमखानी की दर्ज हैं। पर्चा खतौनी प्रदर्श ए–1 सम्वत 2009 में प्रतिवादी के पिता रहीमबक्ष का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज बताकर जारी किया गया हैं जिसके बाद सम्वत 2015 में जो पर्चा खतौनी प्रदर्श ए– 2 जारी हुई हैं उसमें भी विवादित भूमि का काश्तकार रहीमबक्ष होना दर्ज हैं, सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

2015 में खसरा सफाई तैयार किया गया उसमें समय भी विवादित भूमि में काश्त रहीमबक्ष द्वारा करना अंकित किया हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय व उसके बाद उक्त विवादित भूमि पर रहीमबक्ष की काश्त रही हैं जिसकी पुष्टि प्रदर्श डी– 11,12,13 से होती हैं प्रतिवादी ने प्रदर्श डी– 15 में कुल 38 बिगोड़ी रसीदे पेश की हैं जिससे भी विवादित भूमि पर रहीमबक्ष जी का कब्जा काश्त साबित होता हैं । विवादित भूमि में कुआ निर्माण हेतु रामदेव को ठेका दिया गया उसकी लिखा पढ़ी प्रदर्श डी– 16 हैं विधुत कनेक्शन प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रदर्श डी– 16 व विधुत विभाग द्वारा जारी किया गया मांग पत्र प्रदर्श डी – 17 पेश किया है। जहां तक खुद काश्त का प्रश्न हैं उसके सम्बन्ध में यह हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (23) में खुदकाश्त को परिभाषित किया गया हैं तथा धारा 5 (25) में ऐसी भूमि जिसमें खुदकाश्त न की गई हो को परिभाषित किया गया हैं इनका जो सा हैं वह यह हैं कि भूमिधारी द्वार स्वंय कृषि करने को खुदकाश्त कहते हैं यही परिभाषा राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिज्युमशन एक्ट 1952 की धारा 2 (1) में अंकित हैं। लैण्ड रिफोर्मस एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के प्रथम सेड्युल में डोलीदार को आर्टिकल 38 के अन्तर्गत जागीरदार माना गया हैं एवं धारा 23 के तहत जो भूमि जिसमें जागीरदार की खुदकाश्त की भूमि थी वे जागीरदार के निजी उपयोग उपभोग में रखी गई हैं लेकिन इसमें कुछ बाध्यताऐं रखी गई जिसमें एक का वर्णन धारा 23 के अनुसार इस एक्ट के प्रारम्भ से पूर्व लगातार 6 साल तक उपयोग उपभोग भी हैं। यह अधिनियम सन् 1952 अर्थात सम्वत 2009 में लागू हो गया था। जगीर अधिनियम की धारा 9 अनुसार रहीमबक्ष उक्त भूमि का खातेदार हो गया है। जागीर अधिनियम की धारा 14 अनुसार जागीरदार (डोलीदार) रामपाल ने विवादित भूमि अपने नाम अलोट करवाने के लिए कलक्टर या जागीर कमिश्नर को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। वर्तमान में कब्जा आदिनांक तक वादीगण के पास हैं। प्रतिवादीगण द्वारा काफी समय बीतने के बाद 1993 में वाद प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई व इसके सम्बन्ध में नजीर ए.आई.आर 2008 नारायण बनाम माफी मंदिर चारभुजा प्रस्तुत की है वादी का वाद पत्र खारिज फरमाने बाबत निवेदन किया गया।

उपरोक्त विवरण एवं तनकी संख्या 1 व 2 के विस्तृत विवेचन से प्रकट होता हैं कि विवादित आराजियात में रामपाल पिता बछराज की स्थिति डोलीदार (जागीरदार) की रही हैं

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

तथा गिरदावरी अनुसार मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 से पूर्व ताजू खां की काश्त विवादित आराजीयत में रही हैं एंव वादी के पिता रामपाल की काश्त सम्वत 2008 पश्चात होना वादी ने प्रमाणित नहीं करवाया हैं व साथ ही मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट के तहत खतौनी पर्चा मौजा नावां परगना नावां सम्वत 2008 सन् 1951 में भी रहीमबख को कॉलम संख्या 1 में खातेदार खसरा नम्बर 49, 1094 का अंकित किया हुआ है इसकी पुष्ट पर कामदार ठिकाना रामपाल वल्द बछराज के हस्ताक्षर हैं व चौधरियान दह में बालूराम के हस्ताक्षर है जिन्होने इन्द्राज पर्चा दुरूस्त होने की इस्पेक्टर की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किऐ हैं प्रदर्श– डी 5 खतौनी ग्राम नावां जो भू–प्रबन्ध की सम्वत 2015 की प्रथम खतौनी हैं में कॉलम संख्या – 1 ठिकानेदार में रामपाल पुत्र बछराज ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार का अंकन हैं। कॉलम संख्या 4 कृषक विवरण रहीमबक्ष वल्द ताजू खां कौम कायमखानी मुसलमान सा. देह खातेदार छः साल अंकित हैं आगे खसरा नम्बर 49, 1094 कुल 70 बीघा का लगान 115 सालना हैं नीचे सील में यह अंकित हैं कि यदि उपरोक्त प्रविष्टियों के विषय में आपको कोई आपत्ति हो तो उसे तारीख 29 से 31. 1 . 1960 को नाम स्थान पर प्रमाणिकरण के समय प्रस्तुत करे नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर है जिसकी नकल भरपाई के दस्तावेत प्रदर्श – डी 6 नकल पर्चा खतौनी सम्वत 2015 में रहीमबक्ष के हस्ताक्षर हैं व डोलीदार को गोल कर खालसा अंकित किया गया हैं तथा रिपोर्ट में डोलीदार ग्राम नावां में निवास नहीं करने से चस्पा करना किया गया हैं जिससे वादी यह नहीं कह सकता हैं की वक्त सेटलमेन्ट द्वारा वादी के पिता को सुनवाई का अवसर नही किया गया हैं सेटलमेन्ट द्वारा विधिवत सुनवाई के बाद खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज करना प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रस्तुत अन्य दस्तावेज अनुसार विवादित भूमि पर प्रथम भू– प्रबन्ध के दौरान से प्रतिवादीगण के पिता रहीमबक्ष की काश्त होना व तत्पश्चात उनके वारिसान का कब्जा काश्त रिकार्ड से प्रकट होता है। इस प्रकार रहीमबक्ष द्वारा वादी ने डोलीदार को लगान देना अपने बयानों कथन किया जिससे भी प्रकट हैं कि विवादित भूमि जागीर की डोली की रही हैं जिसका डोलीदार रामपाल था जिस पर प्रतिवादीगण पिता रहीमबक्ष डोलीदार के काश्तकार हैसियत से काबिज काश्त रहे हैं। वादी द्वारा उनके पिता रामपाल डोलीदार द्वारा 2008 के पश्चात विवादित भूमि काश्त करना व डोलीदार द्वारा जागीर अधिनियम की धारा 14 अनुसार जागीरदार (डोलीदार) रामपाल द्वारा विवादित भूमि अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अलोट करवाने के लिए कलक्टर या जागीर कमिश्नर को कोई आवेदन प्रस्तुत किया हो प्रमाणित नही सका हैं। इस प्रकार रहीमबक्ष को मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 की धारा 10 व जागीरी अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ ला खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तारी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी भमि का टिनेन्ट तभी माना जा सकता हैं जबकि वह व्यक्ति दूसरे की जमीन को धारित करता हैं तथा उसके द्वारा भूमि का लगान दये होता हैं टिनेन्ट की यह परिभाषा मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम की धारा 2 (10) में दी गई हैं, ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण तथ्य इस सम्बन्ध में देखना यही रह जाता हैं कि विवादग्रस्त भूमि एक टिनेन्ट के रूप में किस के द्वारा धारित किया गया हैं किसने लगान चुकाया हैं प्रश्गत प्रकरण में विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के पिता रहीमबक्ष व दादा ताजू खां का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हैं। वादी स्वंय ने अपने बयानों में रहीमबक्ष द्वारा वादी के पिता रामपाल को लगान / हासल दे का कथन किया हैं। प्रश्नगत प्रकरण में वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित होता हैं कि खसरा नम्बर 49, 377 (1094) जागीर रिज्युम होने के वक्त वादी के पिता की खुदकाश्त की भूमि रही हो साथ ही वादी ने केवल जमाबन्दी सम्वत 2014–2017 प्रदर्श– 8 पेश की हैं जिसमें भी वादी के पिता नाम डोलीदार की हैसियत से दर्ज हैं खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड नहीं हैं, सम्पूर्ण दस्तावेजात के अवलोकन व उसमें वर्णित प्रविष्टियों के आधार पर उक्त भूमि पर प्रतिवादी के पिता व दादा रहीमबक्ष को मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट 1949 व जागीर अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के लागू होने समय ऑपरेशन ऑफ ला प्रतिवादीगण के पिता रहीमबक्ष विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित होता हैं। जिससे तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

अतः तनकी संख्या 1, 2 व 3 वादी के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय होने से वादी का यह वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/7/19

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)